


29-5-2020

218



कि. धी. लाल

21/7/20

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
 अभियान ग्राम पंचायत फुलेवा पर
 प्रस्तुत हुयी। वादी छीतर लाल व
 प्रतिवादीगण की ओर से रामसिंह
 प्रतिवादी का उपस्थित। वादी ने कलम
 कि वादग्रस्त आराजी खान न 2603 रकबा
 0-80 हेक्टर वाले ग्राम फुलेवा हमारी
 संयुक्त स्वप्तेदारी के फर्ज ही प्रतिवादीगण
 गवरन मजदूरान व सदाखलत करने पर
 आभादा है।

प्रतिवादी का ने कलम कि
 वादग्रस्त आराजी को वादी ने हमें बेचान
 कर रखा है। लम्बित के द्वारा खरीद
 की गई है।

उभयपक्षों से सुना गया।

पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध

दस्तावेजों का भ्रूलोकन किया गया।

आराजी खान 2603 रकबा 0-80 हेक्टर

वर्क गृह भोजपुर तहसील उमिपारा

श्रीतरलाल व रामलाल पुत्र अर्जुन लाल

भोजपुर तहसील उमिपारा दाखिल फुलेता दि 5/7

सामन्त मीरा पुत्री तारापण दि 2/7

कोम भोजपुर शाह देव की रकबादारी में

दर्ज है। परिवारी ने कथन किया है कि

उक्त कादगुस्त आराजी एजिमेन्ट से रकबादी

है। परिवारी ने एजिमेन्ट की प्रामाणी

पुस्तक नहीं की है।

अतः कद कदी रकबा

रिफ्त जाकर परिवारी गण को पाबंद किया

जाता है कि वे कदी के संयुक्त खतवारी

के कद के साथ ही आराजी खान

2603 रकबा 0-80 हेक्टर वर्क गृह

भोजपुर तहसील उमिपारा के किली

पुकर की मजदूरत व मदारकलत

नहीं करी पर्व दिने जारी है।

पत्रावली फैललशुभर होकर तम्वर

है कद है तथा दफ्तर दाखिल

है।



उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टांक

मूल वादे में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टॉक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) जल्ल केवा केड गुग्ग फुलेता

पीठासीन अधिकारी..... उपखण्ड अधिकारी उनियारा


हीतरलाल पुत्र अर्जुनलाल उनवान (1) शमसिंह पुत्र बरधा
 जाति मोरवा निण्डे सपुरा बाणी बनाम (2) लोकेश पुत्र शमसिंह
 फुलेता तट-उनियारा (3) प्रेमराज पुत्र शमसिंह
 दावा बाबत (4) कमला पत्नी शमसिंह
 स्थायी निवेद्याश
 मुकदमा नम्बर :- 56/2015
 निर्णय दिनांक :- 29-5-2015

वादी की ओर से हीतरलाल की व प्रतिवादी की ओर से शमसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29-5-2015 को श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त को साराजी खण्ड 2003 खका 0-80 एवं वाके गुग्ग फुलेता तटसीन उनियारा में किसी प्रकार की मजहमत व भदाखलत नही करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

()
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
योग		योग